

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राजप)

प्रकरण संख्या 07/2017

श्री कृति मीरू देवी पत्नी ~~मजरा~~ बनाम (1) श्री लालपिटा हरेदेव
लाल रानी लालपुरा निवासी चिवाडी

(2) विजय राम पिटा हरेदेव
निवासी चिवाडी

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-12/5/17

प्रार्थनापत्र नार्थीश्री श्री कृति मीरू देवी रानी ने जरिये अ
श्री लाल मीरू देवी देवी ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे रकबा
खाते की भूमि ग्राम चिवाडी म0ह0 लालपुरा सह0 माण्डलगढ ने अ

200/179

किता 1 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये वि
विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कर
साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अ
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से प्रार्थी
आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद क
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव न
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0कट स्वीकार कि
ग्राम चिवाडी की आराजी न0-200/179

रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा - की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी कि
के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया
कमीशनर फीस 100 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा कर
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनाथ तहसी
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सनारा गया।